संख्या-115/2017/1428/69-1-17-20(आर0ए0वाई0-37)/2013

प्रेषक,

राम नेवास
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक 28 सितम्बर, 2017

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 में राजीव आवास योजनान्तर्गत जनपद-कन्नौज की निकाय-शेखाना व बजरिया शेखाना की 01 परियोजना हेतु केन्द्रांश व राज्यांश की द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्रांक-एन-11027/17/2016-एचएफए-1/आर0ए0वाई0(एफटीएस-15755), दिनांक 03 अगस्त, 2016 के आधार पर आपके पत्र संख्या-2318/76/एक/आर0ए0वाई0/2013-14, दिनांक 13 सितम्बर, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजीव आवास योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत जनपद-कन्नौज की निकाय-शेखाना व बजरिया शेखाना की 164 आवासों (टाईप-ए के 32 आवास, टाईप-बी के 81 आवास, टाईप-सी के 20 आवास, टाईप-डी के 04 आवास व टाईप-ई के 27 आवास) के सापेक्ष सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के 113 आवासों (टाईप-ए के 21 आवास, टाईप-बी के 61 आवास, टाईप-सी के 09 आवास, टाईप-डी के 04 आवास व टाईप-ई के 18 आवास) की 01 परियोजना, जिसकी कुल लागत रू0 1002.37 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-431/69-1-14-20(आर0ए0वाई-37)/2013, दिनांक 04 मार्च, 2014 द्वारा जारी की जा चुकी है, हेतु अवस्थापना सुविधाओं व अन्य चार्जेज (सेन्टेज चार्जेज की धनराशि को छोड़कर) सहित द्वितीय किश्त (केन्द्रांश व राज्यांश) के रूप में परियोजना लागत का 40 प्रतिशत अर्थात् संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित कुल धनराशि रू0 358.67 लाख (रूपये तीन करोड़ अट्ठावन लाख सड़सठ हजार मात्र) की, निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

1. उक्त धनराशि नगरीय रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजीव आवास योजनान्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप तथा शासन/प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी।
2. उक्त धनराशि का उपयोग उसी परियोजना/प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिए वह स्वीकृत किया जा रहा है। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य न होगा तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी जिससे कास्ट ओवर रन/टाइम ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो एवं किसी प्रकार का कास्ट एस्केलेशन अनुमन्य न होगा।

क्रमशः..........2

http://shasanadesh.up.nic.in

12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सम्बन्धित विभाग कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 (अनुबन्ध) निष्पादित कराने के पश्चात सुनिश्चित करेगें। परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथावश्यक अनुबन्ध (एम0ओ0यू0) किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित डूडा को निर्देशित किया जायेगा।
13. निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. स्वीकृति धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा और प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
15. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा कार्य की गुणवत्ता जॉचने के बाद ही धनराशि का भुगतान करें, अन्यथा वे स्वंय जिम्मेदार होगें।

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक **"4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-02-शहरी आवास-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-राजीव आवास योजना-24-वृहत निर्माण कार्य"** के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 व समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राम नेवास)
विशेष सचिव।

संख्या-115/2017/1428(1)/69-1-17, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, कन्नौज।
5. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइड पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या- 115 /2017/1428/69-1-2017-20(आर०ए०वाई०-37)/2013

दिनांक 28 सितम्बर, 2017 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	जनपद/ परियोजना का नाम	कुल आवासों की संख्या।	सामान्य वर्ग के आवासों की संख्या।	सामान्य वर्ग के आवासों हेतु कुल परियोजना लागत।	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के आवासों हेतु द्वितीय किश्त (40 प्रतिशत) के रूप में अवस्थापना सुविधा व अन्य चार्जेज(सेन्टेज चार्जेज की धनराशि को छोडकर) सहित, स्वीकृत की जा रही धनराशि। (केन्द्रांश व राज्यांश)
1	2	3	4	5	6
1.	कन्नौज/ शेखाना व बजरिया शेखाना	164 (टाईप-ए के 32 आवास, टाईप-बी के 81 आवास, टाईप-सी के 20 आवास, टाईप-डी के 04 आवास व टाईप-ई के 27 आवास)	113 (टाईप-ए के 21 आवास, टाईप-बी के 61 आवास, टाईप-सी के 09 आवास, टाईप-डी के 04 आवास व टाईप-ई के 18 आवास)	1002.37	358.67
	योग				358.67

(रूपये तीन करोड अट्ठावन लाख सड़सठ हजार मात्र)।

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in